

शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित

छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाएँ

□ मनीष कस्वां

वर्तमान में शिक्षा विभाग में राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ एवं प्रोत्साहन योजनाएँ राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही है जो कि नामांकन वृद्धि, शैक्षिक उन्नयन एवं प्रोत्साहन हेतु शासकीय नीति के अभिन्न अंग के रूप में काम कर रही हैं। उक्त योजनाओं से सम्बन्धित पात्र छात्र-छात्राओं को देय लाभ एवं सुविधाएँ निर्धारित समयावधि में दिलवाया जाना समस्त संस्थाप्रधानों के पदीय दायित्वों का अभिन्न अंग है। संस्थाप्रधानों द्वारा निर्धारित समय पर पात्र विद्यार्थियों के आवेदन शालादर्पण एवं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपलोड किए जाने से विद्यार्थियों को निर्धारित समय पर छात्रवृत्ति वितरित की जा सकेगी। इस परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों एवं संस्थाप्रधानों की सुविधा हेतु विभाग द्वारा देय समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियाँ एवं प्रोत्साहन योजनाओं में देय लाभ, सुविधा, पात्रता, आवेदन अवधि, आवेदन की प्रक्रिया इत्यादि समस्त घटकों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है :-

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित छात्रवृत्तियाँ

क्र. सं.	छात्रवृत्ति	कक्षा	पात्रता	छात्रवृत्ति की राशि					आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन की प्रक्रिया
1	अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	6 से 8	1. छात्र/छात्रा अनुसूचितजाति का होना चाहिए। 2. छात्र/छात्रा जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत समितियों, नगर पालिकाओं द्वारा संचालित स्कूलों में अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। 3. छात्र/छात्रा को किसी केन्द्रीय, राजकीय, सार्वजनिक, धार्मिक स्रोत से अध्ययन हेतु किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो। 4. छात्र/ छात्रा जो विभाग द्वारा संचालित या विभाग द्वारा अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो। 5. छात्र/छात्रा जो पिछली परीक्षा में उत्तीर्ण हो 6. छात्र/छात्रा जिनके माता-पिता या उनके जीवित न होने पर संरक्षक, आयकर न देते हो।	क्र. सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (10 माह हेतु)	कुल राशि	1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र 2. आय प्रमाण पत्र 3. आधार एवं भामाशाह कार्ड या आवेदन स्लिप 4. बैंक पासबुक की छाया प्रति 5. पिछली कक्षा की अंकतालिका 6. राजस्थान राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र। शालादर्पण पोर्टल पर संस्थाप्रधान के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रेषित किए जाने हैं। सत्र 2018-19 के टाईमफ्रेम की जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट rajasthan.education.gov.in/secondary_education के स्कॉलरशिप सेक्शन टेब का अवलोकन करें।
				1	छात्र	6 से 8	75/- प्र.माह	750/- (अधिकतम 10 माह के लिए)	
				2	छात्रा	6 से 8	125/- प्र.माह	1250/- (अधिकतम 10 माह के लिए)	
2	अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (शत-प्रतिशत के.प्र.यो.)	9 से 10	1. छात्र/छात्रा अनुसूचितजाति का होना चाहिए। 2. छात्र/छात्रा जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत समितियों, नगर पालिकाओं द्वारा संचालित स्कूलों में अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 9 व 10 में नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। 3. अन्य किसी केन्द्र प्रवर्तित योजना से छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा हो। 4. अनुत्तीर्ण होने पर इस छात्रवृत्ति हेतु पात्र नहीं होगा। 5. छात्र/छात्रा जिनके माता-पिता जीवित हो तो उनकी या उनके जीवित न होने पर संरक्षक की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक न हो।	कक्षा	विवरण	दरें		1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र 2. आय प्रमाण पत्र 3. आधार एवं भामाशाह कार्ड या आवेदन स्लिप 4. बैंक पासबुक की छायाप्रति 5. पिछली कक्षा की अंकतालिका 6. राजस्थान राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र। शाला दर्पण पोर्टल पर संस्थाप्रधान के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रेषित किए जाने हैं। सत्र 2018-19 के टाईमफ्रेम की जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट rajasthan.education.gov.in/secondary_education के स्कॉलरशिप सेक्शन टेब का अवलोकन करें।	
				9 व 10	छात्रवृत्ति/ माह (अधिकतम 10 माह के लिए)	डेस्कॉलर	हॉस्टलर		
						225 रुपये प्र. माह	525 रुपये प्र. माह		
				9 व 10	पुस्तकें व एडहॉक ग्राण्ट प्रति वर्ष (एक मुश्त)	750 रुपये (वार्षिक)	1000 रुपये (वार्षिक)		
				कुल राशि		3000 रुपये (अधिकतम 10 माह के लिए)	6250 रुपये (अधिकतम 10 माह के लिए)		
* उक्त दरें माह सितम्बर, 2017 के पश्चात् प्रभावी हैं।									

क्र. सं.	छात्रवृत्ति	कक्षा	पात्रता	छात्रवृत्ति की राशि				आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन की प्रक्रिया	
				क्र. सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (10 माह हेतु)		कुल राशि
3	अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	6 से 8	1. छात्र/छात्रा अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए। 2. छात्र/छात्रा जो राजकीय अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक नियमित रूप से अध्ययनरत है। 3. छात्र/छात्रा को किसी केन्द्रीय, राजकीय, सार्वजनिक, धार्मिक स्रोत से अध्ययन हेतु किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो। 4. छात्र/छात्रा जो विभाग द्वारा संचालित या विभाग द्वारा अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो। 5. छात्र/छात्रा जो पिछली परीक्षा में उत्तीर्ण हो। 6. छात्र/छात्रा जिनके माता-पिता जीवित हो, या उनके न होने पर संरक्षक, आयकर दाता न हो।	1	छात्र	6 से 8	75/. प्र.माह	750/- (अधिकतम 10 माह के लिए)	1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र 2. आय प्रमाण पत्र 3. आधार एवं भामाशाह कार्ड या आवेदन स्लिप 4. बैंक पासबुक की छाया प्रति 5. पिछली कक्षा की अंकतालिका 6. राजस्थान राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र। शालादर्पण पोर्टल पर संस्थाप्रधान के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रेषित किए जाने हैं। सत्र 2018-19 के टाईमफ्रेम की जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट rajasthan.education.gov.in/secondary_education के स्कालरशिप सेक्शन टेब का अवलोकन करें।
2	छात्रा	6 से 8	125/. प्र.माह	1250/- (अधिकतम 10 माह के लिए)					
4	अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (शत-प्रतिशत के.प्र.यो.)	9 से 10	1. छात्र/छात्रा अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए। 2. छात्र/छात्रा जो राजकीय अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 9 व 10 में नियमित रूप से अध्ययनरत है। 3. अन्य किसी केन्द्र प्रवर्तित योजना से छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा हो। 4. अनुत्तीर्ण होने पर इस छात्रवृत्ति हेतु पात्र नहीं होगा। 5. छात्र/छात्रा जिनके माता-पिता जीवित हो तो उनकी या उनके जीवित न होने पर संरक्षक की वार्षिक आय 2.00 लाख से अधिक न हो।	कक्षा	विवरण	दरें		1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र 2. आय प्रमाण पत्र 3. आधार एवं भामाशाह कार्ड या आवेदन स्लिप 4. बैंक पासबुक की छायाप्रति 5. पिछली कक्षा की अंकतालिका 6. राजस्थान राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र। शाला दर्पण पोर्टल पर संस्थाप्रधान के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रेषित किये जाने हैं। सत्र 2018-19 के टाईमफ्रेम की जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट rajasthan.education.gov.in/secondary_education के स्कालरशिप सेक्शन टेब का अवलोकन करें।	
9 व 10	छात्रवृत्ति (अधिकतम 10 माह के लिए)	150 रुपये प्रति माह	350 रुपये, प्रति माह						
9 व 10	एडहॉक ग्राण्ट प्रति वर्ष (एक मुश्त)	750 रुपये (वार्षिक)	1000 रुपये (वार्षिक)						
	कुल राशि	2250 रुपये (अधिकतम 10 माह के लिए)	4500 रुपये (अधिकतम 10 माह के लिए)						
* उक्त दरें माह सितम्बर, 2017 के पश्चात् प्रभावी हैं।									
5	अन्य पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (50% C.S.S.)	6 से 10	1. राज्य सरकार द्वारा मान्य अन्य पिछड़ी जाति की सूची में छात्र/छात्रा की जाति का सम्मिलित होना अनिवार्य है। 2. छात्र/छात्रा के माता-पिता/संरक्षक की वार्षिक आय 2,50,000 रुपये की सीमा तक हो। 3. छात्र/छात्रा द्वारा कक्षा 06 से 08 तक प्रत्येक वर्ष में C ग्रेड से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है एवं कक्षा 09 में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। 4. छात्र/छात्रा द्वारा अन्य किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं की जा रही हो।	कक्षा	विवरण	दरें		1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र 2. आय प्रमाण पत्र 3. आधार एवं भामाशाह कार्ड या आवेदन स्लिप 4. बैंक पासबुक की छायाप्रति 5. पिछली कक्षा की अंकतालिका 6. राजस्थान राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र। शाला दर्पण पोर्टल पर संस्थाप्रधान के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रेषित किये जाने हैं। सत्र 2018-19 के टाईमफ्रेम की जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट rajasthan.education.gov.in/secondary_education के स्कालरशिप सेक्शन टेब का अवलोकन करें।	
6 से 10	छात्रवृत्ति (अधिकतम 10 माह के लिए)	100 रुपये /माह	500 रुपये /माह						
	कुल राशि	1000 रुपये (अधिकतम 10 माह के लिए)	5000 रुपये (अधिकतम 10 माह के लिए)						
* उक्त दरें माह सितम्बर, 2017 के पश्चात् प्रभावी हैं।									

क्र. सं.	छात्रवृत्ति	कक्षा	पात्रता	छात्रवृत्ति की राशि					आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन की प्रक्रिया
				क्र. सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (10 माह हेतु)	कुल राशि	
6	विशेष समूह वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति 1. बनजारा, बालदिया, लबाना। 2. गाडिया-लोहार, गाडोलिया 3. गुजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी) 5. गडरिया (गाडरी), गायरी	6 से 10	1. अन्य पिछड़ी जाति के अंतर्गत विशेष समूह वर्ग की सूची में जाति का प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है। 2. छात्र/छात्रा राजकीय अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 6 से 10 तक नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो। 3. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो। 4. छात्र/छात्रा जो पिछली परीक्षा में उत्तीर्ण हो। 5. छात्र/छात्रा के माता-पिता/संरक्षक की वार्षिक आय 2,00,000 रुपये की सीमा तक हो।	1	छात्र	6 से 8	50/- प्र.माह	500/- (अधिकतम 10 माह के लिए)	1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र 2. आय प्रमाण पत्र 3. आधार एवं भामाशाह कार्ड या आवेदन स्लिप 4. बैंक पासबुक की छाया प्रति 5. पिछली कक्षा की अंकतालिका 6. राजस्थान राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र। शालादर्पण पोर्टल पर संस्थाप्रधान के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रेषित किए जाने हैं। सत्र 2018-19 के टाईमफ्रेम की जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट rajasthan.education.gov.in/secondary_education के स्कालरशिप सेक्शन टेब का अवलोकन करें।
				2	छात्रा	6 से 8	100/- प्र.माह	1000/- (अधिकतम 10 माह के लिए)	
				3	छात्र	9 से 10	60/- प्र. माह	600 रुपये (अधिकतम 10 माह के लिए)	
				4	छात्रा	9 से 10	120/- प्र. माह	1200 रुपये (अधिकतम 10 माह के लिए)	
7	अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन व पारसी) छात्र/छात्राओं के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्र प्रवर्तित योजना शत-प्रतिशत)	1 से 10	1. छात्र/छात्रा के द्वारा पिछली अंतिम परीक्षा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की गई हो, परन्तु कक्षा 1 एवं 2. उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं के लिए उनके अभिभावक/संरक्षक की मात्र आय को ही आधार माना जाएगा। 2. छात्र/छात्रा के अभिभावक अथवा संरक्षक की सभी स्रोतों से मिलाकर कुल वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयन में छात्र/छात्रा के द्वारा अर्जित अंकों के बजाय गरीबी को अधिभार (Weightage) दिया जायेगा। 3. छात्र/छात्रा द्वारा उसी कक्षा और सत्र के लिए अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं किया होना चाहिए। 4. एक परिवार में दो से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देय नहीं है। अतः एक परिवार से अधिकतम दो विद्यार्थियों का ही आवेदन करवाया जा सकता है।	मद	कक्षा	छात्रावासी	गैर छात्रावासी	1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र 2. आय प्रमाण पत्र 3. आधार एवं भामाशाह कार्ड या आवेदन स्लिप 4. बैंक पासबुक की छायाप्रति 5. पिछली कक्षा की अंकतालिका 6. राजस्थान राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र। एन.एस.पी.पोर्टल पर भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। संस्थाप्रधान एवं जिला स्तर से वेरीफिकेशन के पश्चात् समस्त प्रस्ताव MoMA नई दिल्ली पहुँच जाते हैं। छात्रवृत्ति का भुगतान भारत सरकार द्वारा सीधे ही विद्यार्थी के खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से हस्तान्तरित किया जाता है।	
				प्रवेश शुल्क	6 से 10	500 रुपये वार्षिक या वास्तविक (जो भी कम हो)	500 रुपये वार्षिक या वास्तविक (जो भी कम हो)		
				शिक्षण शुल्क	6 से 10	350 रुपये प्र. माह या वास्तविक (जो भी कम हो) 10 माह के लिए	350 रुपये प्र. माह या वास्तविक (जो भी कम हो) 10 माह के लिए		
				रख रखाव भत्ता	1 से 5	शून्य	100 रुपये प्रति माह (10 माह के लिए)		
					6 से 10	600 रुपये प्रति माह या वास्तविक (जो भी कम हो)	100 रुपये प्रति माह (10 माह के लिए)		

क्र. सं.	छात्रवृत्ति	कक्षा	पात्रता	छात्रवृत्ति की राशि				आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन की प्रक्रिया
8	अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवारों के बच्चों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्र प्रवर्तित योजना शत-प्रतिशत)	1 से 10	1. छात्र/छात्रा कक्षा- 1 से 10 में अध्ययनरत होना चाहिए। 2. छात्र/ छात्रा के माता-पिता/ अभिभावक का अस्वच्छ कार्य में लगे होने का प्रमाण-पत्र होना चाहिए।	कक्षा छात्र/ छात्रा	छात्रवृत्ति दरें (10 माह हेतु)	वार्षिक अनुदान	कुल राशि	1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र 2. आय प्रमाण पत्र 3. आधार एवं भामाशाह कार्ड या आवेदन स्लिप 4. बैंक पासबुक की छाया प्रति 5. पिछली कक्षा की अंकतालिका 6. राजस्थान राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र। शालादर्पण पोर्टल पर संस्था प्रधान के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रेषित किए जाने हैं। सत्र 2018-19 के टाईमफ्रेम की जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट rajasthan.education.gov.in/secondary_education के स्कालरशिप सेक्शन टेब का अवलोकन करें।
				डेस्कालर 1 से 10	110/- प्रतिमाह	750/- वार्षिक	1850/- (अधिकतम 10 माह के लिए)	
				हॉस्टलर 3 से 10	700/- प्रतिमाह	1000/- वार्षिक	8000/- (अधिकतम 10 माह के लिए)	
9	अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति	11 व 12	1. छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निर्देशान्तर्गत संचालित है। 2. विद्यार्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो। 3. अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र तहसीलदार या उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। 4. आय प्रमाणपत्र तहसीलदार या उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। 5. नियोजित माता-पिता/संरक्षक होने की स्थिति में कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा आय प्रमाण पत्र जारी हो। 6. इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति लेने वाले छात्र कोई अन्य छात्रवृत्ति के पात्र नहीं होंगे। 7. छात्र/छात्रा के माता-पिता /संरक्षक की वार्षिक आय 2,50,000 रुपये की सीमा तक हो।	कक्षा छात्र /छात्रा	छात्रावासी	डेस्कालर		1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र 2. आय प्रमाण पत्र 3. आधार एवं भामाशाह कार्ड या आवेदन स्लिप 4. बैंक पासबुक की छायाप्रति 5. पिछली कक्षा की अंकतालिका 6. राजस्थान राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र। समस्त प्रकार की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियों के आवेदन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा उनके राजस्थान छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं।
				11-12	380.00 रुपये प्रतिमाह	230.00 रुपये प्रतिमाह		
				कुल राशि	3800 रुपये (अधिकतम 10 माह के लिए)	2300 रुपये (अधिकतम 10 माह के लिए)		
10	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को उत्तरमैट्रिक छात्रवृत्ति	11 व 12	1. छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निर्देशान्तर्गत संचालित है। 2. विद्यार्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो। 3. अनुसूचित जनजाति का प्रमाण.पत्र तहसीलदार या उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। 4. आय प्रमाण-पत्र तहसीलदार या उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। 5. नियोजित माता पिता/संरक्षक होने की स्थिति में कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा आय प्रमाण पत्र जारी हो। 6. इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति लेने वाले छात्र कोई अन्य छात्रवृत्ति के पात्र नहीं होंगे। 7. छात्र/छात्रा के माता-पिता/संरक्षक की वार्षिक आय 2,50,000 रुपये की सीमा तक हो।	कक्षा छात्र /छात्रा	छात्रावासी	डेस्कालर		1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र 2. आय प्रमाण पत्र 3. आधार एवं भामाशाह कार्ड या आवेदन स्लिप 4. बैंक पासबुक की छायाप्रति 5. पिछली कक्षा की अंकतालिका 6. राजस्थान राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र। समस्त प्रकार की उत्तरमैट्रिक छात्रवृत्तियों के आवेदन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा उनके राजस्थान छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं।
				11-12	380.00 रुपये प्रतिमाह	230.00 रुपये प्रतिमाह		
				कुल राशि	3800 रुपये (अधिकतम 10 माह के लिए)	2300 रुपये (अधिकतम 10 माह के लिए)		

क्र. सं.	छात्रवृत्ति	कक्षा	पात्रता	छात्रवृत्ति की राशि			आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन की प्रक्रिया		
11	अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति	11 व 12	1. छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निर्देशान्तर्गत संचालित है। 2. विद्यार्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो। 3. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र तहसीलदार या उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। 4. आय प्रमाण-पत्र तहसीलदार या उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। 5. नियोजित माता पिता/संरक्षक होने की स्थिति में कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा आय प्रमाण पत्र जारी हो। 6. इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति लेने वाले छात्र कोई अन्य छात्रवृत्ति के पात्र नहीं होंगे। 7. छात्र/छात्रा के माता-पिता/संरक्षक की वार्षिक आय 1,00,000 रुपये की सीमा तक हो।	कक्षा छात्र /छात्रा	छात्रावासी	डेस्कालर	1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र 2. आय प्रमाण पत्र 3. आधार एवं भामाशाह कार्ड या आवेदन स्लिप 4. बैंक पासबुक की छाया प्रति 5. पिछली कक्षा की अंकतालिका 6. राजस्थान राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र। समस्त प्रकार की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियों के आवेदन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा उनके राजस्थान छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं।		
				11-12	260.00 रुपये प्रतिमाह	160.00 रुपये प्रतिमाह			
				कुल राशि	2600 रुपये (अधिकतम 10 माह के लिए)	1600 रुपये (अधिकतम 10 माह के लिए)			
12	विशेष समूह वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति 1. बनजारा, बालदिया, लबाना। 2. गाड़िया-लोहार, गोडालिया 3. गुजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी) 5. गडरिया (गाडरी), गायरी	11 व 12	1. छात्र/छात्रा राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो। 2. अन्य पिछड़ी जाति के अंतर्गत विशेष समूह वर्ग की सूची में जाति का प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है। 3. जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार या उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। 4. आय प्रमाण-पत्र तहसीलदार या उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। 5. नियोजित माता-पिता/संरक्षक होने की स्थिति में कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा आय प्रमाण पत्र जारी हो। 6. इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति लेने वाले छात्र/छात्रा कोई अन्य छात्रवृत्ति के पात्र नहीं होंगे। 7. एक ही माता पिता/संरक्षक के सभी बच्चे इस योजना से लाभान्वित होने के पात्र होंगे। 8. छात्र/छात्रा के माता-पिता/संरक्षक की वार्षिक आय 2,50,000 रुपये की सीमा तक हो।	कक्षा छात्र /छात्रा	छात्रावासी	डेस्कालर	1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र 2. आय प्रमाण पत्र 3. आधार एवं भामाशाह कार्ड या आवेदन स्लिप 4. बैंक पासबुक की छायाप्रति 5. पिछली कक्षा की अंकतालिका 6. राजस्थान राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र। समस्त प्रकार की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियों के आवेदन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा उनके राजस्थान छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं।		
				11-12	380.00 रुपये प्रतिमाह	230.00 रुपये प्रतिमाह			
				कुल राशि	3800 रुपये (अधिकतम 10 माह के लिए)	2300 रुपये (अधिकतम 10 माह के लिए)			
13	करगिल युद्ध में अर्थात् 01.04.99 पश्चात् युद्धों में शहीद/स्थायी विकलांग हुए सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति	1 से 12	1. आवेदक छात्र/छात्रा नियमित रूप से सरकारी/गैरसरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में अध्ययनरत हो। 2. उक्त श्रेणी के छात्र/छात्रा को राज्य सरकार से अन्य छात्रवृत्ति का लाभ देय नहीं होगा। 3. आवेदक छात्र/छात्रा को पिता का करगिल युद्ध में (01.04.99 के पश्चात् युद्धों में शहीद/स्थायी विकलांग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। 4. आवेदन पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो।	क्र. सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (10 माह हेतु)	कुल राशि	1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र 2. आय प्रमाण पत्र 3. आधार एवं भामाशाह कार्ड या आवेदन स्लिप 4. बैंक पासबुक की छायाप्रति 5. पिछली कक्षा की अंकतालिका 6. राजस्थान राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र। शाला दर्पण पोर्टल पर संस्थाप्रधान के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रेषित किये जाने हैं। सत्र 2018-19 के टाईमफ्रेम की जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट rajasthan.education.gov.in/secondary_education के स्कालरशिप सेक्शन टेब का अवलोकन करें।
				1	छात्र	1 से 12	180/- प्र.माह	1800/- (अधिकतम 10 माह के लिए)	
				2	छात्रा	1 से 12	180/- प्र.माह	1800/- (अधिकतम 10 माह के लिए)	

क्र. सं.	छात्रवृत्ति	कक्षा	पात्रता	छात्रवृत्ति की राशि				आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन की प्रक्रिया	
				क्र. सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (10 माह हेतु)		कुल राशि
14	प्री. करगिल युद्धों अर्थात् 1.4.99 से पूर्व युद्धों में शहीद/ स्थायी विकलांग के आश्रितों को छात्रवृत्ति	1 से 12	1.आवेदक छात्र/छात्रा नियमित रूप से सरकारी /गैरसरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में अध्ययनरत हो। 2. उक्त श्रेणी के छात्र/छात्रा को राज्य सरकार से अन्य छात्रवृत्ति का लाभ देय नहीं होगा। 3. आवेदक छात्र/छात्रा को पिता का प्रीकरगिल युद्ध में (01.04.99 से पूर्व युद्धों में शहीद/स्थायी विकलांग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।) 4. आवेदन पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।	1	छात्र	1 से 12	180/- प्र. माह	1800/- (अधिकतम 10 माह के लिए)	1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र 2.आय प्रमाण पत्र 3.आधार एवं भामाशाह कार्ड या आवेदन स्लिप 4. बैंक पासबुक की छाया प्रति 5. पिछली कक्षा की अंकतालिका 6. राजस्थान राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र। शालादर्पण पोर्टल पर संस्था प्रधान के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रेषित किए जाने हैं। सत्र 2018-19 के टाईमफ्रेम की जानकारी के लिए विभाग की वेबसाईट rajasthan.education.gov.in/secondary education के स्कालरशिप सेक्शन टेब का अवलोकन करें।
				2	छात्रा	1 से 12	180/- प्र.माह	1800/- (अधिकतम 10 माह के लिए)	
15	भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति	11 व 12	1. आवेदक छात्रा नियमित रूप से सरकारी/गैर सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कक्षा 11 या 12 में अध्ययनरत हो। 2. उक्त श्रेणी की छात्रा को राज्य सरकार से अन्य छात्रवृत्ति का लाभ देय नहीं होगा। 3. छात्राएँ 10 वीं अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हो। 4. आवेदन पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।	1	छात्रा	1 से 12	100/- प्र. माह	1000/- (अधिकतम 10 माह के लिए)	1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र 2. आय प्रमाण पत्र 3. आधार एवं भामाशाह कार्ड या आवेदन स्लिप 4. बैंक पासबुक की छायाप्रति 5. पिछली कक्षा की अंकतालिका 6. राजस्थान राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र। शालादर्पण पोर्टल पर संस्था प्रधान के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रेषित किए जाने हैं। सत्र 2018-19 के टाईमफ्रेम की जानकारी के लिए विभाग की वेबसाईट rajasthan.education.gov.in/secondary education के स्कालरशिप सेक्शन टेब का अवलोकन करें।

प्रोत्साहन योजनाएँ

क्र.सं.	योजना का नाम	पात्रता	देय लाभ	विशेष विवरण
1	गार्गी पुरस्कार	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की माध्यमिक एवं प्रवेशिका परीक्षा में 75% अंक प्राप्त कर कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत बालिका।	3000 रु. प्रतिवर्ष दो वर्षों के लिए (11वीं व 12वीं में नियमित अध्ययनरत रहने पर एवं प्रमाण-पत्र)	बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा देय
2	बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की उच्च माध्यमिक एवं वरि. उपा. परीक्षा में 75% अंक प्राप्त कर स्नातक प्रथमवर्ष में नियमित अध्ययनरत बालिका	5000 रु. एक मुश्त एवं प्रमाण-पत्र।	बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा देय
3	पद्माक्षी पुरस्कार योजना	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा-8, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्रत्येक जिले में प्रथम तथा संस्कृत की 8वीं, प्रवेशिका एवं वरि. उपाध्याय परीक्षा में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली आठ संवर्गों की छात्राएँ- (SC, ST, OBC, MBC, Minority, GEN, CWSN & BPL)	1. कक्षा-8 की छात्राओं को 40,000 रुपये, कक्षा-10 व प्रवेशिका की छात्राओं को 75,000 रुपये, कक्षा-12 व वरि. उपा. की छात्राओं को 1,00,000 रुपये एवं प्रमाण-पत्र दिए जाएँगे। 2. इस पुरस्कार हेतु उक्त वर्गों की जिले/राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिका को न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। 3. कक्षा-12 व वरिष्ठ उपाध्याय की पुरस्कार पात्र बालिकाओं को पुरस्कार राशि के अतिरिक्त स्कूटी भी दी जाएगी।	बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा देय

क्र.सं.	योजना का नाम	पात्रता	देय लाभ	विशेष विवरण
4	कस्तूरबा गाँधी सावधि जमा रसीद योजना	राजकीय कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालयों से उत्तीर्ण एवं राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत रहते हुए कक्षा-10 की बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण एवं राजकीय विद्यालयों की कक्षा-11 में अध्ययनरत छात्राएँ पात्र हैं एवं कस्तूरबा गाँधी विद्यालयों से उत्तीर्ण एवं राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत रहते हुए कक्षा-12 की बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण छात्रा जो कि किसी स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में अध्ययनरत हो, भी पात्र है।	-कक्षा-10 में उत्तीर्ण एवं कक्षा-11 में अध्ययनरत छात्रा को 2000 रु. की सावधि जमा रसीद 5 वर्ष हेतु -कक्षा-11 में उत्तीर्ण एवं स्नातक प्रथम वर्ष में अध्ययनरत छात्रा को 4000 रु. की सावधि जमा रसीद 3 वर्ष हेतु -सावधि जमा रसीद का भुगतान स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही देय है।	माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित
5	विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना	योजनान्तर्गत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा-10वीं की मैरिट में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को विदेश में स्नातक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। अध्ययन का सम्पूर्ण व्यय बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा वहन किया जाता है। वर्ष 2017-18 में दो बालिकाओं को विदेश अध्ययन हेतु भेजा गया है। योजनान्तर्गत चयनित बालिकाओं के अभिभावकों द्वारा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सहमति देने के उपरान्त राशि उपलब्ध कराई जाती है।	कक्षा 11 व 12 के पश्चात् विदेश में स्नातक स्तर के अध्ययन हेतु - प्रतिवर्ष अधिकतम रु. 25 लाख बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा प्रदत्त	बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा देय
6	सामान्य संवर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े मेधावी विद्यार्थियों हेतु प्रोत्साहन योजना	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की माध्यमिक, प्रवेशिका, उच्च माध्यमिक (कला, वाणिज्य, विज्ञान) एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करने वाले सामान्य संवर्ग के विद्यार्थी जिनके माता-पिता/ अभिभावक की वार्षिक आय रुपये 2.5 लाख से कम हो	माध्यमिक-98 विद्यार्थी रु. 15000 व प्रशस्तिपत्र प्रवेशिका-02 विद्यार्थी रु. 15000 व प्रशस्तिपत्र उच्च माध्यमिक (कला-98, वाणिज्य-98, विज्ञान-98) विद्यार्थी रु. 15000 व प्रशस्तिपत्र वरि.उपा.-06 विद्यार्थी रु. 15000 व प्रशस्तिपत्र कुल 400 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाना है।	माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित
7	पं. दीनदयाल उपाध्याय राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा	कक्षा 10 व 12 में अध्ययनरत विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 9 व 11 न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण की हो इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।	राजस्थान सरकार के सरकारी विद्यालयों से प्रथम 50-50 स्थानों पर न्यूनतम 80 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर-कक्षा 11 व 12 के लिए रु. 1250 प्रमा. एवं स्नातक/स्नातकोत्तर के लिए रु. 2000 प्रमा. देय हैं।	माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित
8	राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा	कक्षा 10 व 12 में अध्ययनरत विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 9 व 11 न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण की हो इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।	राजस्थान सरकार के सरकारी विद्यालयों से प्रथम 50-50 स्थानों पर न्यूनतम 80 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर-कक्षा 11 व 12 के लिए रु. 1250 प्रमा. एवं स्नातक/स्नातकोत्तर के लिए रु. 2000 प्रमा. देय हैं। बजट घोषणा 5.4.15 के अनुसार निजी विद्यालय के विद्यार्थियों को NTSE में चयनित होने पर रु. 10000 एक मुश्त पुरस्कार देय है।	माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित
9	इंसपायर अवार्ड मानक योजना	कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों द्वारा समाजोपयोगी विज्ञान आधारित आइडिया विद्यालय के माध्यम से E-MIAS पोर्टल पर अपलोड किया जाना	सत्र 2017-18 से रु. 10000 का इंसपायर एवार्ड विद्यार्थी को अपने आइडिया को मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए दिया जाता है। जिला, राज्य, राष्ट्र स्तर तक प्रदर्शनी में अपना प्रारूप प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है।	माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित

क्र.सं.	योजना का नाम	पात्रता	देय लाभ	विशेष विवरण
10	मुख्यमंत्री हमारी बेटीयों योजना	इसके अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकण्डरी परीक्षा में प्रत्येक जिले में प्रथम व द्वितीय स्थान (न्यूनतम 75% अंक) प्राप्त करने वाली 02 मेधावी (Meritorious) छात्राओं, जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बी.पी.एल. परिवार की 01 छात्रा एवं जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली 01 अनाथ बालिका(सत्र 2018-19) को कक्षा 11 व 12 में पाठ्यपुस्तकों, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म इत्यादि के लिए रुपये 15000 वार्षिक तथा स्नातक व स्नातकोत्तर में अध्ययन हेतु 25,000 रुपये एक मुश्त सहायता दी जा रही है।	कक्षा 11 व 12 में अध्ययन हेतु आवश्यक समस्त शुल्क छात्रावास कोचिंग शुल्क, शिक्षण शुल्क आदि हेतु अधिकतम रुपये 1.00 लाख तक तथा कक्षा 12 के पश्चात् स्नातकोत्तर तक अध्ययन हेतु अधिकतम 2.00 लाख रुपये तक प्रतिवर्ष सहायता दी जा रही है।	बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा देय
11	विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (देवनारायण गुरुकुल योजना सहित)	प्रवेश परीक्षा के माध्यम से संवर्गवार (MBC, SC, ST) निर्धारित सीटों पर कक्षा 6 में प्रवेश	50,000 रु प्रतिवर्ष अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो, का पुनर्भरण निजी विद्यालय को किया जाता है।	माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित

आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि समाज के मेधावी, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों हेतु विभाग में राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में संस्थाप्रधान अपना महती योगदान प्रदान करेंगे एवं सत्र 2018-19 में एक भी पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन से वंचित नहीं रहेगा। नए सत्र की शुभकामनाओं सहित।

सहायक निदेशक, छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
मो. 9950436599

मासिक गीत

हम करें राष्ट्र आराधन...



साभार : 'राष्ट्रवंदना' पुस्तक से

हम करें राष्ट्र-आराधन तन से, मन से, धन से,
तन, मन, धन, जीवन से, हम करें राष्ट्र-आराधन।

अन्तर से, मुख से, कृति से, निश्छल हो, निर्मल मति से
श्रद्धा से, मस्तक नति से, हम करें राष्ट्र अभिवादन॥1॥

अपने हँसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से,
प्रौढ़तापूर्ण जीवन से, हम करें राष्ट्र का अर्चन॥2॥

अपने अतीत को पढ़कर अपना इतिहास उलटकर
अपना भवितव्य समझकर, हम करें राष्ट्र का चिन्तन॥3॥

हैं याद हमें युग-युग की, जलती अनेक घटनाएँ,
जो माँ की सेवा पथ पर, आयीं बनकर विपदाएँ॥4॥

हमने अभिषेक किया था, जननी का अरि-शोणित से,
हमने शृंगार किया था माता का अरि-मुण्डों से॥5॥

हमने ही उसे दिया था, सांस्कृतिक उच्च सिंहासन,
माँ जिस पर बैठी सुख से, करती थी जग का शासन॥6॥

अब काल-चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन,
अपना तन-मन-धन देकर, हम करें पुनः संस्थापन॥7॥